File No.81-7099/586/2020-07-,

गंगा नदी एवं उसकी प्रमुख सहायक नदियों की जलगुणता में सुधार लाये जाने हेतु की जा रही कृत कार्यवाही के संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दि0 14.06.2021 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

गंगा नदी एवं उसकी प्रमुख सहायक नदियों की जल गुणता में सुधार लाये जाने हेतु की जा रही कृत कार्यवाही के सम्बंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 14.06.2021 को अपराह्न 04:30 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आहूत की गई।

2— सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंगा एवं यमुना नदी में प्रदूषण के अद्यतन स्थिति के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया गया। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में 103 एस0टी0पी0 संचालित हैं, जिनमें से माह मई/जून की प्राप्त अद्यतन रिपोर्ट के आधार पर 14 एस0टी0पी0 द्वारा मानकों की प्राप्ति नहीं की जा रही है, 03 एस0टी0पी0 संचालित नहीं हैं तथा 62 एस0टी0पी0 निर्माणाधीन हैं।

3— सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि गंगा नदी की जलगुणता मुख्य रूप से कानपुर डाउनस्ट्रीम पर बी0ओ0डी0 अधिक होने, डी0ओ0 कम होने तथा फीकल कोलीफार्म की मात्रा अधिक होने के कारण कुप्रभावित हो रही है, जिसका मुख्य कारण कानपुर नगर में एस0टी0पी0 का प्रभावी रूप से संचालन न होना है। जाजमऊ स्थित 130 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 की मरम्मत कार्य के दृष्टिगत सीवेज का सीधे प्रवाह नदी में हो रहा है। कानपुर स्थित 210 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 बिनगवां द्वारा मानकों की प्राप्ति नहीं की जा रही है, तथा प्रदूषित उत्प्रवाह निस्तारित किया जा रहा है। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 130 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 जाजमऊ द्वारा मानकों की प्राप्ति न करने के कारण पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी अधिरोपित की गयी है एवं अभियोजन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उक्त के अतिरिक्त काली एवं रामगंगा नदी जो कि कानपुर के अपस्ट्रीम में क्रमशः खुदागंज एवं फर्रुखाबाद में गंगा नदी में मिलती है, में फीकल कोलीफार्म एवं टोटल कोलीफार्म की मात्रा अधिक होने के कारण भी गंगा नदी की जलगुणता प्रभावित हो रही है।

4— बिनगवां एस0टी0पी0 के संबंध में प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि 210 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 बिनगवां मे औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारण किये जाने के कारण एस0टी0पी0 इन्लेट पर सी0ओ0डी0 की मात्रा अधिक प्राप्त हो रही है जिससे एस0टी0पी0 के संचालन एवं मानकों की प्राप्ति मे कठिनाई आ रही है। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि बोर्ड द्वारा बिनगवां एस0टी0पी0 में अशोधित उत्प्रवाह निस्तारित करने वाली कन्फार्मिंग एरिया में स्थित औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए बंदी आदेश जारी किये गये है तथा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी अधिरोपित की जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र के अलावा सघन आवासीय क्षेत्र विशेषकर सीसामऊ डायवर्टेड नाला के कैचमेंट क्षेत्र के मध्य भी अनेक छोटी इकाइयां संचालित हैं। सघन आवासीय क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयो से निस्तारित उत्प्रवाह से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु जिला प्रशासन एवं विद्युत विभाग के सहयोग से नगर निगम एवं विकास प्राधिकरण द्वारा विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि यद्यपि ऐसी इकाइयों से जनित उत्प्रवाह से सी0डी0ओ0 की मात्रा बढ़ना स्वाभाविक है, परन्तु यह मात्रा बोर्ड द्वारा किये गये विभिन्न विश्लेषणों में लगभग 600–700 मिग्रा0/ली0 तक पायी गयी है तथा यह मात्रा 210 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 बिनगवां के संचालन हेतु आवश्यक एम0एल0एस0एस0 एवं अन्य प्रचालकों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव डालने हेतु पर्याप्त नहीं है। अतः एस0टी0पी0 के प्रभावी संचालन हेतु

आवश्यक कार्य कर लिए जाने से शोधित उत्प्रवाह की गुणता मानक के अनुरूप की जा सकती है।

5– बैठक में सदस्य सचिव द्वारा यमुना नदी के मथुरा एवं आगरा तथा कानपुर, प्रयागराज तथा वाराणसी में ड्रेन्स के टैपिंग की स्थिति प्रस्तुत की गयी। वाराणसी एवं मथुरा में बायो रेमेडियेशन का कार्य प्रभावी नहीं पाया गया है। सदस्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि एस0टी0पी0 का प्रभावी संचालन न करने के अतिरिक्त गंगा नदी में प्रदूषित उत्प्रवाह निस्तारित करने वाली कई ड्रेन्स की टैपिंग न करने एवं वैकल्पिक शोधन की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित न करने के कारण भी गंगा एवं यमुना नदी के जल की गुणता वाराणसी, मथुरा एवं कानपुर में कुप्रभावित हो रही है।

6– प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मथुरा में यमुना नदी का जल प्रदूषित होने का मुख्य कारण साड़ी उद्योगों के उत्प्रवाह के शोधन हेतु स्थापित सी0ई0टी0पी0 का प्रभावी संचालन न होने के कारण प्रदूषित उत्प्रवाह के प्रवाहित होने से एस0टी0पी0 के इन्लेट पर सी0ओ0डी0 की मात्रा अधिक होने से एस0टी0पी0 का संचालन प्रभावित हुआ है। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि सी0ई0टी0पी0 का संचालन मानकों के अनुरूप न होने के कारण सी0ई0टी0पी0 एवं उससे सम्बद्ध समस्त साड़ी इकाइयों को बन्द कराने की कार्यवाही की जा रही है। प्रश्नगत मथुरा सी0ई0टी0पी0 का राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के स्तर से अपग्रेडेशन का कार्य प्रस्तावित है।

7– बैठक में अपर मुख्य सचिव, नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि उनके स्तर से वाराणसी एवं अन्य सम्बंधित जनपदों के अधिकारियों के साथ बैठक कर गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने के दृष्टिगत ड्रेन्स के टैपिंग से संबंधित संचालित एवं प्रस्तारित विभिन्न योजनाओं एवं मा0 एन0जी0टी0 में दायर विभिन वादो की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की जा रही है तथा समीक्षा उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त अनटैप्ड ड्रेन्स के बायो रेमिडियेशन के संबंध में भी समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

8– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मिर्जापुर एवं वाराणसी में कुछ स्थलों पर नदी के जल में एलगी पाये जाने के सम्भावित कारणों एवं इसके सम्भावित उपचारों के सम्बंध में की गई कार्यवाही के संबंध में अवगत कराया गया।

बैठक में सम्यक् विचारोपरांत निम्न कार्यवाही हेतु निर्णय लिया गया :–

1– कानपुर स्थित जाजमऊ 130 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 के मानकों के अनुरूप संचालन न किये जाने एवं सीवेज के सीधे गंगा नदी में निस्तारण के दृष्टिगत एस0टी0पी0 ऑपरेटर के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित एवं अभियोजन की कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही–अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम एंव सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

2– कानपुर स्थित बिनगवां एस0टी0पी0 के मानकों के अनुरूप संचालन न किये जाने के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से समन्वय स्थापित कर ऑपरेटर का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय। एस0टी0पी0 के इन्लेट पर अशोधित औद्योगिक उत्प्रवाह के दृष्टिगत अशोधित उत्प्रवाह निस्तारित करने वाली आवासीय क्षेत्र की औद्य ोगिक इकाईयों को चिन्हित करते हुए जिला प्रशासन के सहयोग से प्रभावी कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही–महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन/अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नगर विकास, नमामि गंगे विभाग/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम एंव सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

3– प्रदेश के गंगा एवं यमुना नदी के कैचमेण्ट में आने वाले समस्त अनटैप्ड नालों को टैपिंग करने के सम्बंध में विस्तृत प्रोजेक्ट तैयार वित्तीय प्राविधान हेतु शीघ्र

व्यवस्था की जाए तथा टैपिंग एवं एस0टी0पी0 से जोड़ने तक सभी अनटैप्ड नालों में वैकल्पिक शुद्धिकरण जैसे बायो रेमेडियेशन/फाइटो रेमेडियेशन की प्रभावी कार्यवाही प्रारम्भ करायी जाये।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग /प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

4– समस्त जनपदों में अनटैप्ड नालों को टैप करने, निर्माणाधीन एवं मानकों की प्राप्ति न करने वाले एस0टी0पी0 की प्रगति की समीक्षा साप्ताहिक रूप से सम्बंधित विभागों के अधिकारियों के साथ की जाए तथा इस सम्बंध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। भविष्य में इस सम्बंध में आयोजित होने वाली बैठकों में सम्बंधित जिलाधिकारियों एवं मण्डलायुक्तों को भी सम्मिलित किया जाये। अनटैप्ड नालों को टैप करने सम्बंधी, निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित एस0टी0पी0 के प्रोजेक्टस के सम्बंध में एन0एम0सी0जी0/उ0प्र0 शासन में भेजे गये प्रस्तावों की स्वीकृति के सम्बंध में अद्यतन स्टेटस रिपोर्ट समयबद्ध रूप से कार्य पूर्ण करने की सूचना के साथ तत्काल प्रेषित की जाये।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग /प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

5– जनपद इटावा एवं मैनपुरी में क्रमशः नगर पालिका परिषद एवं जल कल द्वारा संचालित एस0टी0पी0 का संचालन प्रभावी रूप से नहीं किये जाने के कारण वहां के एस0टी0पी0 का मानकों के अनुरूप संचालन हेतु समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

(कार्यवाही–अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग)

6– गंगा नदी में जनपद वाराणसी में एलगल ब्लूम की समस्या के निदान हेतु निर्देश दिये गये कि ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों/नदियों के कारण समस्या पाये जाने की स्थिति में पंचायती राज विभाग द्वारा सफाई करायी जाये तथा शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों द्वारा तालाबों/नदियों की जांच कराकर यथावश्यक एलगीसाइड डालकर सफाई सुनिश्चित करायी जाये। आक्सीडेशन पांड एस0टी0पी0 में संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा एलगीसाइड डालकर सफाई आदि आवश्यक कार्य सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही–अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज/नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग)

उपरोक्त निर्णयों की अनुपालन आख्या दिनांक 12.07.2021 तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को ई–मेल soenvups@rediffmail.com एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई–मेल ms@uppcb.in पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

अन्त में बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

(मनोज सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

File No.81-7099/586/2020-07-,

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
संख्या– S 32 /81–7–2020–53(पर्या)/2017
लखनऊ : दिनांक : 23 जून, 2021

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
2– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/सिंचाई एवं जल संसाधन/आवास एवं शहरी नियोजन/पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5– स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
उप सचिव।